

न्यायालय तहसीलदार राजाखेडा (धौलपुर)

निर्णय दिनांक 29.12.19

रिपोर्ट पटवारी हल्का सर्गोना द्वारा प्रस्तुत की गई । प्रकरण राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर होकर अतिकमी को जरिये नोटिस तलब किया जावे । पत्रावली दिनांक 1.11.19 को पेश हो ।

पत्रावली पेश हुई । आवाज लगवाई गई गैर सायल उपस्थित / अनुपस्थित रहा संक्षिप्त में विवरण निम्नप्रकार है कि पटवारी हल्का सर्गोना द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि गैर सायल बसुवा पुत्र रामेश्वर 2448 कौम 370 निवासी सिम्हपुर तहसील राजाखेडा ने आराजी ख0न0 5918 किस्म 3-2 रकवा 500 बांके ग्राम सिम्हपुर पर 22-25 की अतिकमण कर लिया है प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । गैर सायल को जरिये नोटिस से तलब किया गया । गैर सायल उपस्थित / अनुपस्थित रहा । कोई सबूत व साक्ष्य पेश नहीं किया गया । तत्पश्चात रिपोर्ट पटवारी हल्का का अवलोकन किया तो पाया गया कि अतिचारी का अतिचार सिद्ध होता है ।

अतः राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिचारी को उक्त आराजी से बेदखल किया जाता है शरह लगान 0.30 की 50 गुनी से शास्ति राशि 15 रूपये आरोपित की जाती है । भू0 अभिलेख निरीक्षक / पटवारी हल्का को लिखा जावे । टी0आर0ए0 का माग कायमी हेतु लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो । निर्णय खुल न्यायालय सुनाया गया ।

राजाखेडा
तहसीलदार
राजाखेडा

दिनांक 10
पृष्ठ सं 42
रजिस्टर में दर्ज की गई
राजाखेडा
TR 512/100